

कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)

अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना-800014

E-mail-ccffhrdbihar@gmail.com

पत्रांक:-स्था०(सी०)-02/2025/HRD/131

पटना-14, दिनांक :-18/03/2026

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०

मुख्य वन संरक्षक,

प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास,

बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

शोध प्रशिक्षण एवं जनसम्पर्क प्रमंडल, पटना।

विषय :


केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं विज्ञापन संख्या-03/2020 के अंतर्गत तांती (ततवा) जाति के चिन्हित 'वनरक्षी' कर्मियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न क्रमशः 10 (दस) एवं 04 (चार) कुल 14 (चौदह) रिक्तियों के विरुद्ध वनरक्षी के पद पर नियुक्ति से संबंधित सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी के पद पर नियोजन हेतु केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं विज्ञापन संख्या-03/2020 के अंतर्गत तांती (ततवा) जाति के चिन्हित 'वनरक्षी' कर्मियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न क्रमशः 10 (दस) एवं 04 (चार) कुल 14 (चौदह) रिक्तियों के विरुद्ध वनरक्षी के पद पर अनुशासित अभ्यर्थियों का नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के जाँच/सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होने की सूचना (प्रति संलग्न) को राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में दिनांक-30.03.2026 के पूर्व प्रकाशित कराने से संबंधित अग्रतः कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(सुरेन्द्र सिंह)


मुख्य वन संरक्षक

प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-स्था०(सी०)-02/2025-HRD/131

पटना-14, दिनांक :- 18/03/2026

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सहित) आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(सुरेन्द्र सिंह)

मुख्य वन संरक्षक  
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास  
बिहार, पटना।

केन्द्रीय चयन पषर्द (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा वनरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थियों की सूची

क्र०	रौल नम्बर	नाम	पिता/पति का नाम	आवटित वन प्रमण्डल
1	1022050141	श्री सन्नी कुमार	श्री सुरेश चौधरी	राजगीर जू सफारी
2	1014050136	श्री गुड्डु कुमार	श्री रमाशंकर पासवान	भोजपुर
3	1034060446	श्री रमेश कुमार	श्री श्रवण कुमार शर्मा	पूर्णियाँ
4	1022080150	श्री अमर कुमार	श्री रामप्रवेश पासवान	गया
5	1022010422	श्री चिन्दु कुमार	श्री सुरेश चौधरी	नवादा
6	1015130264	श्री अभिषेक कुमार	श्री उमाशंकर चौधरी	औरंगाबाद
7	1019050822	श्री विकास कुमार	श्री कृष्णदेव पासवान	रोहतास
8	1028040112	श्री कृष्णदेव प्रसाद	श्री उमेश प्रसाद पासवान	सीतामढ़ी
9	1010440212	श्री रबि पासवान	स्व० बिनोद पासवान	जमुई
10	1036050108	श्री आशिष कुमार	श्री विजेन्द्र पासवान	सुपौल
11	1410080039	श्री सूरज कुमार चौधरी	श्री नरेश चौधरी	गया
12	2413010056	श्री राकेश कुमार भारती	श्री रामाशंकर चौधरी	कैमूर
13	2429050176	श्री चंदन कुमार पासवान	श्री रामवृक्ष पासवान	बेगूसराय
14	2438070008	श्री अतुल कुमार	श्री उपेन्द्र पासवान	अररिया




बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं विज्ञापन संख्या-03/2020 के अंतर्गत तांती (ततवा) जाति के चिन्हित 'वनरक्षी' कर्मियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न क्रमशः 10 (दस) एवं 04 (चार) कुल 14 (चौदह) रिक्तियों के विरुद्ध वनरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु 14 अभ्यर्थियों की पूरक अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है।

अनुशंसित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन (Verification of Certificates) हेतु दिनांक-01.04.2026 से 15.04.2026 तक संबंधित वन प्रमंडल कार्यालयों में उपस्थित होना होगा। रौल नम्बरवार आंवटित वन प्रमंडल की सूची एवं इससे संबंधित विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/forest> पर देखी जा सकती है।

प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छायाप्रति की दो-दो स्व-अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे : -

- (1) मैट्रीक/इंटरमीडिएट एवं अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
- (2) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।
- (3) अगर नियोजित हो, तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (4) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- (5) केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card)
- (6) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।
- (7) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- (8) पासपोर्ट साईज का 04 (चार) फोटो।
- (9) वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
- (10) दहेज नहीं लेने-देने संबंधी शपथ-पत्र।
- (11) मद्य निषेध संबंधी शपथ-पत्र।
- (12) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र, जिसमें सभी प्रमाण-पत्र सही होने, थाना अथवा न्यायालय में कोई कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने एवं आचरण प्रतिकूल नहीं होने से संबंधित शपथ-पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। एतद संबंधी विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- (13) प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

  
मुख्य वन संरक्षक,  
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास,  
बिहार, पटना।

पत्रांक 3/एम-27/2006 का०-1869  
बिहार सरकार  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 08. 07. 06

विषय:- विभिन्न सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (character and antecedents) का सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के प्रसंग में प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है। कतिपय स्मारपत्रों के बाद ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हो पाता है जिसके कारण नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करने में विलम्ब हो जाया करता है। जहाँ रिक्त पद को शीघ्र भरने की अत्यन्त आवश्यकता होती है वहाँ ऐसी परिस्थिति में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति करनी पड़ती है और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसी नियुक्ति का नियमितीकरण करना पड़ता है।

2. राज्य सरकार ने चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रतिवेदन ससमय प्राप्त नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया है और एतदर्थ समय-सीमा तथा जवाबदेही के निर्धारण की आवश्यकता समझी गयी है। अतः इस संबंध में निर्गत पूर्व के परिपत्रों/अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यकरूपेण विचारोपरान्त, राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है-

- (1) संबंधित आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर संबंधित विभाग उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए सक्षम पदाधिकारी को अनुरोध पत्र, उम्मीदवार के पूर्ण विवरण के साथ भेजेगा।
- (2) ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद संबंधित सक्षम पदाधिकारी अगले एक माह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) आरक्षी महानिदेशक द्वारा सभी आरक्षी अधीक्षकों से प्रतिमाह सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति एवं उनके निष्पादन की संख्या के संबंध में मासिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं उसकी समीक्षा की जायेगी।
- (4) सभी प्रमंडलीय आयुक्त प्रमंडलीय स्तर पर जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षकों की प्रमंडलीय बैठक में

सत्यापन, प्रतिवेदनों के निष्पादन की समीक्षा करेंगे।

- (5) उक्त समय-सीमा का अनुपालन नहीं हो सकने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण कर संबंधित दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। संबंधित विभाग में ऐसी कार्रवाई विभागीय सचिव द्वारा की जायेगी। आरक्षी महानिदेशक के अधीनस्थ सक्षम पदाधिकारी के अधीन समय-सीमा का अनुपालन नहीं हो सकने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण और समुचित कार्रवाई आरक्षी महानिदेशक को प्राप्त होनेवाले मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर की जायेगी। आरक्षी महानिदेशक के कार्यालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ वांछित चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन भी अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) संबंधित विभाग द्वारा सभी नयी नियुक्तियों के संदर्भ में सभी उम्मीदवारों से उनके योगदान की स्वीकृति के पूर्व संलग्न सत्यापन प्रपत्र में, उनके स्वयं का बायोडेटा (पूर्ववृत्त आचरण के संबंध में सूचना सहित) अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,  
रविकान्त  
सरकार के सचिव

ज़ापांक-3/एम-27/2006 का०-1859

पटना-15, दिनांक 08. 07. 06

प्रतिलिपि- महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविकान्त  
सरकार के सचिव

## सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक  
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

यहाँ चिपकाएँ

### चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
  2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
  3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- 
1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम  
कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) कुलनाम  
नाम
  2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०,  
गली/ स्ट्रीट/ सड़क तथा शहर
  3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान  
नं०, गली/ स्ट्रीट/ सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम  
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का  
निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने  
की तारीख का उल्लेख करें।
  4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/ पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

- (क) जन्मतिथि (क)  
(ख) वर्तमान आयु (ख)  
(ग) मैट्रीकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गई आयु (ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)  
(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख)  
(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ग)

- (क) आपका धर्म  
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/  
अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों,  
उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?

हाँ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ?

हाँ/नहीं

- (ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ? हाँ/नहीं
- (घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है ? हाँ/नहीं
- (ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ? हाँ/नहीं
- (च) क्या कभी किसी विधि-न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है ? हाँ/नहीं
- (छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हाँ/नहीं
- (ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है ? हाँ/नहीं
- (झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हाँ/नहीं
- (ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? हाँ/नहीं
- (ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया ? हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/हिरासत/अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोट- (i) कृपया इस प्रपत्र के प्रारम्भ में लिखी 'चेतावनी' को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

- 1.
- 2.

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....  
 तारीख.....  
 स्थान.....

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

- (i) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है।

**In the court of Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate**

Sri ..... S/o, D/o.  
..... aged ..... by caste  
..... by faith ..... by  
Nationality Indian by occupation ..... resident of  
Village ..... Town .....  
P.O. .... P.S. .... District .....

do here by solemnly affirm and declare as follows:- .

That I am a permanent resident of the aforesaid Village/Town which falls under P.O  
..... P.S. .... District .....

- (i) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.
- (ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the honorable Court.
- (iii) That all the documents i.e. caste certificate, residential certificate. educational qualification certificate/marks sheets and others certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Staff Selection Commission / Central Selection Board of Constable are true to the best of my belief and Knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificate I will by liable to be punished under Law.

The statements made above are true to the best of my knowledge. Belief & information and I sign this this .....day ..... at .....

**Deponent Signature**

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is

Identified by the Advocate .....

Signature of Magistrate .....